

तार : 'शुगरफेड'

पीबीएक्स : 2612849 / 2615722 / 2201856

E-mail : upsugarfed@yahoo.co.in

https://www.upcane.gov.in

https://www.facebook.com/UPcane



फैक्स : 91-522-2627994 / 2201447

दूरभाष : 2628310 / 2263121

टोल फ्री नं० : 1800-121-3203

Website : www.upsugarfed.org

https://www.twitter.com/canewebsite

https://bit.ly/2kmgpL8

# उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड

9-ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226 001

पत्र संख्या ..... 273 यू0पी0एफ0/ADM-MISCELL STORE-2022

दिनांक 5/12/2022

## नीलामी सूचना

संघ मुख्यालय में विभिन्न कार्यालय उपयोग की सामग्री जैसे, पुरानी फैक्स मशीन, फोटो कॉपी मशीन, गीजर, सोफे, कूलर, टायर, विंडो ए.सी., लोहे की कुर्सियाँ, मेज, वाटर कूलर, लाइट, केबल, फ्रिज, पैडसटल फैन, प्लास्टिक कूलर, स्प्लिट ए.सी., स्टेबलाईजर, वाल फैन, कंप्यूटर, यू.पी.एस., सी.पी.यू., प्रिंटर, इलेक्ट्रिक केतली, वाल क्लॉक, कैलकुलेटर, लैपटॉप, टी.वी., हैण्ड सनीटाईजर मशीन, मॉनिटर, रूम हीटर, टेलीफोन सेट, जग प्लास्टिक आदि-आदि जिसका सम्पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है, की खुली नीलामी "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर दिनांक 20.12.2022 को कार्यालय परिसर में अपरान्ह 03.00 बजे की जायेगी। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 20.12.2022 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक संघ मुख्यालय में किसी भी कार्य दिवस में नीलाम किये जाने वाले सामान का अवलोकन कर संघ कार्यालय कोष में धरोहर धनराशि रु.5,000.00 (रूपया पांच हजार मात्र) जमा करके नीलामी में भाग ले सकते हैं। उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में विक्रय निर्णीत करते हुये तीन दिन के अन्दर बोली की धनराशी जमा कर नीलाम की गयी सामग्री को ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

नीलामी जिस पक्षकार के पक्ष में छोड़ी जायेगी, उसके द्वारा निर्धारित अवधि में शेष धनराशि न जमा करने पर अथवा नीलामी के सामान को लेने से मना करने की स्थिति में धरोहर धनराशि संघ द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

नीलामी बोली पर अंतिम निर्णय लेने या बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत कि वह नीलामी सूचना अपने विभाग के नोटिस बोर्ड चस्पा कराने का कष्ट करें।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.राज्य चीनी निगम, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
4. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ।
6. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. तहसीलदार, सदर, लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
9. सिस्टम एनालिस्ट, संघ को संघ की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
10. सूचना पट, संघ कार्यालय।

(सर्वेन्द्र सिंह राठौर)

प्रधान प्रबन्धक (वित्त)